न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 67/2023 अपील (राजस्व)

GCMS No 2023/96

नारायण लाल पिता उदा गमेती निवासीः 43 बलीचा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. कालु पिता लालु भील निवासीः तितरड़ी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर राज.

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी निर्णय तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 90/2008 बंटवारा निर्णय दिनांक 23.07.2008

उपस्थित : 1. श्री नरेश जणवा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 11/05/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अपने स्वामित्व आधिपत्य एव खातेदारी की भूमि के आपसी सहमती से बंटवारे हेतू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के समक्ष पेश किया ओर निवेदन किया की उक्त मौजा बलीचा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 520/1, 521/1, 518, 519, 522 523 520 मीन, 521 मीन कुल किला 6 रकबा 02500 हैक्टयर भूमि का मिटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवारा किया जाये जिस पर तहसीलदार गिर्वा के द्वारा प्रकरण दर्ज कर के प्रार्थी तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और उक्त भूमि का मिटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवारा किया गया जिसमे से अपीलाण्ट के हक हिस्से में आराजी नम्बर 520मी रकबा 0.0200 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 521 मी रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि हिस्से में नियत की गई तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हक हिस्से मे आ.न. 520/1 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आ.न.

जिला कलक्टर
उदयपुर

521/1 रकबा 0.0250 हैक्टेयर आ.न. 518 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आ. न. 519 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आ.न. 522 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आ. न. 523 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.2000 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के हक हिस्से में दर्ज की गई और उक्त भूमि का बंटवारा भी राजस्व रेकर्ड मे कर दिया गया परन्तु अभी हाल ही में अपीलाण्ट अपनी भूमि का राजस्व रेकर्ड की नकल तथा नक्षा निकलवाया तो पता चला कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नक्षे को रेकर्ड मे तरमीम करने में गलती कर दी है ओर जिस जगह अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है उस जगह से हटकर के उसके नाम पर राजस्व नक्षे मे तरमीम कर दी है और जहां पर अपीलाण्ट को नक्षा बिठाना था जो नहीं बिठाया गया है और उसकी सभी जमीन रोड के पास में दर्शा दी है जबकि वह उक्त भूमि पर काबिज नहीं है ओर उसकी कुछ भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम पर दर्ज कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बात भली प्रकार से थी कि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है और वह परिवार सहित निवास कर रहा है और उसको भी बंटवारे में वही भूमि दिया जाना तय हुआ था परन्तु उक्त बटवारे में उसको उसके हिस्सा तो सही दिया गया परन्तु उसके मकान का कुछ भाग रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज भूमि मे कर दिया गया और अपीलाण्ट के नाम पर कुछ ऐसी भूमि दर्ज कर दी जो उसके कब्जे में है ही नही है और न हीं उसका उक्त भूमि से कोई वास्ता ही है और आपस मे विश्वास से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट बैठा था परन्तु उसके द्वारा उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए जब नकल तथा राजस्व नक्षा निकलवाया और अमीन को बुलाया तो उसे पता चला कि जिस जमीन पर अपीलाण्ट काबिज है और उसका मकान बना हुआ है उस्से उसकी कुछ भूमि हटकर के उसके नाम पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है और जहां पर वह काबिज है उस भूमि का कुछ भाग रेस्पोडेण्ट के नाम पर दर्ज कर दिया गया है जबकि वह मकान के अलावा अन्य भूमि जिस पर रेस्पोडेण्ट के नाम पर दर्ज है उस भूमि पर उसका मकान बना हुआ है। उक्त भूमि का बंटवारा आपसी सहमती से किया गया परन्तु उसमे या तो त्रुटी वंश या जालसाजी से जिस भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है वह भूमि उसके नाम पर राजस्व नक्षे मे तरमीम नहीं की गई है ओर जहां पर वह काबिज है उस भूमि में से कुछ भूमि राजस्व नक्शे मे रेस्पोडेण्ट के नाम पर कर दी है और उक्त बात के बारे मे अपीलाण्ट अभी तक अनभिज्ञ था और वह तो यही समझ रहा था कि जहां पर वह काबिज है वही भूमि उसके नाम पर राजस्व नक्शे में दर्ज है परन्तु जब उक्त बात की जानकारी हुई

जिला कलक्टर
उदयपुर

तो अपीलाण्ट को वास्तविकता का पता चला और उसकी नपती करवाई तो पुर्ण जानकारी हुई। उक्त भूमि का बंटवारा एक तरह से तो सही किया गया था परन्तु राजस्व नक्शे मे तरमीम करने में पटवार हलका या अमीन के द्वारा उसको राजस्व नक्क्षे में सेट करने में त्रुटी कारित कर दी या रेस्पोडेण्ट ने जाल साजी से उक्त त्रुटी कारित करवाई हो तो भी अपीलाण्ट को उसके बारे मे नही जानता है इसलिए उक्त त्रुटी को दुरस्त करने के लिए अपीलाण्ट उक्त अपील आप श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 90/2008 बंटवारा निर्णय दिनाकं 23.07.2008 को निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त त्रुटी जो बटवारे में रह गई है उसको दुरस्त फरमाया जावे तथा जहा पर अपीलाण्ट काबिज है वह भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न पत्रावली है। प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने आपसी सहमति से मौजा बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर स्थित खातेदारी भूमि के बंटवारे हेतु तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया गया, जिसमें अपीलार्थी के हिस्से में आराजी नम्बर 520 मीन रकबा 0.0200 हैक्टेयर एवं 521 मीन रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि नियत की गई तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के हक हिस्से मे आ.न. 520/1 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आ.न. 521/1 रकबा 0.0250 हैक्टेयर आ.न. 518 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आ.न. 519 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आ.न. 522 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, आ.न. 523 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 6 रकबा 0.2000 हैक्टेयर दर्ज की गई। बंटवारे के अनुसार राजस्व अभिलेखों में तरमीम भी कर दी गई। किन्तु हाल ही में राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दी गई है। जिस स्थान पर अपीलार्थी का मकान बना हुआ है एवं वह परिवार सहित काबिज है, उस भूमि का कुछ भाग रेस्पोडेण्ट संख्या–1 के नाम दर्ज कर दिया गया तथा अपीलार्थी के नाम ऐसी भूमि दर्ज कर दी गई जिस पर उसका कब्जा नहीं है। अपीलार्थी के अनुसार बंटवारा आपसी सहमति से सही हुआ था, किन्तु नक्शे में तरमीम करते समय

जिला कलक्टर
उदयपुर

पटवार हल्का, अमीन अथवा रेस्पोडेण्ट द्वारा त्रुटि अथवा जालसाजी कर दी गई। अतः अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2008 को निरस्त कर त्रुटि सुधारते हुए जिस भूमि पर अपीलार्थी वास्तविक कब्जे में है, उसे राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाए।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर आपसी सहमति के आधार पर किया है जिसमे कोई त्रुटि नही है किन्तु यदि तरमीम में कोई गलती हुई है तो जांच उपरान्त सुधार किया जाना अपेक्षित है।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के विभाजन की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपसी सहमति बंटवाडा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जांच उपरान्त राजस्व ग्राम बलीचा के आराजी संख्या 520/1, 521/1, 518, 519, 522, 523 कुल किता 06 रकबा 0.2000 हे. भूमि रेस्पोडेण्ट श्री कालू के नाम व आराजी संख्या 520 मी., 521 मी. कुल किता 02 रकबा 0.0500 हे. भूमि श्री नारायण के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये गये जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है, किन्तु तरमीम के बिन्दु पर पुनः जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर स्वीकृत सहमति बंटवाडा एवं मौका अनुसार जांच उपरान्त यदि प्रकरण राजस्व नक्शे में तरमीम/ शुद्धि योग्य पाया जावे तो नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर